25

भू-राजस्व (पापड़ खार तथा सज्जी उत्पादन क्षेत्रों का पट्टा) नियम, 1968

अनुक्रमणिका

नियम सं	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ	196
2.	लागू होना	196
3.	अतिष्ठान	196
4	परिभाषाएँ	196
5.	पट्टा कब दिया जायेगा	197
6.	पट्टे की कालावधि, नवीनीकरण	197
7.	पट्टा देने का ढंग	197
8.	पीठासीन अधिकारी द्वारा बोली स्वीकार की जाएगी	197
9.	नीलामी के लिये प्रक्रिया	197
10.	अग्रिम धन का वापस करना	201
11.	पट्टों की मंजूरी का जारी किया जाना	201
12.	सफल बोली लगाने वाले का आख्यापन	201
13.	करारों का निष्पादन	201
14.	पट्टे अन्य प्रणालियों से भी दिये जा सकेंगे	201
15.	पट्टों की साधारण शर्तें	201
16.	विवादों का विनिश्चिय	203
17.	[विलोपित]	203
18.	विनिर्माण करने का अधिकार	203
19.	शक्तियों का प्रत्यायोजन	203
20.	भूलों की परिशुद्धि	204
21.	नियमों का शिथिलीकरण	204
22.	अप्राधिकृत कार्यकरण	204
	अनुसूची I—सज्जी और पापड़ खार के वर्गीकृत क्षेत्र	204
	प्रपत्र-I ठेके की सूचना	205
	अनुसूची II—प्रारूप II (नियम 13)	208–214

25

भू-राजस्व (पापड़ खार तथा सज्जी उत्पादन क्षेत्रों का पट्टा) नियम, 1968

जी.एस.आर. 75—राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम 15) की धारा 89 और 102 के साथ पठित धारा 261 की उप-धारा (2) के खण्ड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, जो उन शर्तों को शासित करते है जिन पर कि पापड़ खार तथा सज्जी विनिर्मित करने के प्रयोजन के लिए राजस्थान राज्य में भूमि आवंटित की जा सकेगी, अर्थात्:

नियम 1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का नाम भू-राजस्व (पापड़ खार तथा सज्जी उत्पादन क्षेत्रों का पट्टा) नियम, 1968 है।

(2) इनका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) ये राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

नियम 2. लागू होना—इन नियमों में राजस्थान राज्य में पापड़ खार और सज्जी उत्पादन के लिये वर्गीकृत क्षेत्रों में भूमि आवंटन की शर्तें शासित होंगी।

नियम 3. अतिष्ठान—इन नियमों के प्रवृत्त होने पर राजस्थान पापड़ खार सज्जी एण्ड साल्डपीटर प्रोड्यूसिंग एरियाज लीज रूल्स, 1964 अथवा कोई अन्य नियम, जिनमे इन पदार्थों के विनिर्माण के लिये भूमि का आवंटन प्रशासित होता है, अतिष्ठित हो जायेंगे,

परन्तु—

(i) इस अतिष्ठान का, इस प्रकार अतिष्ठित किये नियमों के पूर्व प्रवर्तन पर अथवा तद्धीन की गई किसी कार्यवाही पर या पापड़ खार और सज्जी बनाने के लिये दिये गये पट्टे पर कोई प्रभाव नहीं होगा;

(ii) इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से समस्त आवंटन, जो अतीत में किसी भी प्राधिकार के अधीन किये गये हों, इन नियमों से शासित होंगे, जब तक कि सन्दर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,

नियम 4. परिभाषाएँ—जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,—

(i) "वर्गीकृत क्षेत्र" से पापड़ खार अथवा सज्जी के विनिर्माणार्थ आवंटन हेतु पृथक् रखा हुआ भूमि-क्षेत्र अभिप्रेत है जैसा कि अनुसूची I में विनिर्दिष्ट है, और पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर उस अनुसूची में क्षेत्रों को जोड़ सकेगी या उसमें से उन्हें लोपित कर सकेगी;

(ii) "निदेशक" से निदेशक, उद्योग एवं नागरिक रसद विभाग राजस्थान, जयपुर अभिप्रेत है;

(iii) "प्ररूप से अनुसूची I में विर्दिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है;"

(iv) "सरकार" से राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(v) "पट्टे" से पापड़ खार अथवा सज्जी, यथास्थिति का उत्पादन करने वाली किसी वर्गीकृत क्षेत्र का पट्टा अभिप्रेत है;

1. Pub. in Raj. Govt. Gaz. Exty. Part 4 (ga) dated 9-8-1979.

(vi) "पापड़ खार" से रेह नामक मिट्टी पर जमी सफेद पपड़ी से निकाले गये पदार्थ अभिप्रेत है और जिनमें मलयुक्त सोडियम कारबोनेट, सोडियम बाईकार्बोनेट, सोडियम क्लोराईड तथा सोडियम सल्फेट के रूप में संघटक हैं;

(vii) "सज्जी" से लाणा और कंगण नामक पौधों को जलाने से प्राप्त होने वाले पदार्थ अभिप्रेत है और जिसके मुख्य संघटक सोडियम, पोटाशियम एवं कैल्शियम के लवण है;

(viii) "अनुसूची" से इन [1](नियमों से संलग्न) अनुसूची अभिप्रेत है।

नियम 5. पट्टा कब दिया जायेगा—पट्टा पूर्व संविदाओं का अवसान या समाप्ति होने पर अथवा नये क्षेत्रों को वर्गीकृत क्षेत्र घोषित किये जाने पर दिया जायेगा।

नियम 6. पट्टे की कालावधि, नवीनीकरण—(1) सज्जी के लिये पट्टे की कालावधि एक वर्ष होगी जो उस वर्ष, जिसमें पट्टा दिया जाए, के नवम्बर के प्रथम दिन से प्रारम्भ होकर उससे अगले वर्ष 31 अक्टूबर को समाप्त होगी;

परन्तु जहां नये क्षेत्र उक्त कालावधि के दौरान किसी समय किराये पर दिये जायें या किसी क्षेत्र के विद्यमान पट्टे का पर्यवसान पूर्वोक्त कालावधि के अवसान से पूर्व ही कर दिया जाये, वहाँ नये पट्टे की कालावधि, उक्त कालावधि का अवशिष्ट भाग होगी जिसका सम्यक् उल्लेख नीलाम नोटिस में निदेशक द्वारा किया जायेगा।

(2) पापड़ खार के लिये पट्टे की कालावधि तीन वर्ष होगी जो उस वर्ष, जिसमें वह दिया जाये, के सितम्बर के प्रथम दिन से प्रारम्भ होकर उससे अगले तीन वर्ष के बाद 31 अगस्त को समाप्त होगी;

परन्तु जहां नये क्षेत्र उक्त कालावधि के दौरान किसी समय किराये पर दिये जायें या जहां किसी क्षेत्र के विद्यमान पट्टे का पर्यवसान पूर्वोक्त कालावधि के अवसान से पूर्व ही कर दिया जाये, वहां नये पट्टे की कालावधि, उक्त कालावधि का अवशिष्ट भाग होगी जिसका सम्यक् उल्लेख नीलाम नोटिस में निदेशक द्वारा किया जावेगा।

[2][(3) पापड़ खार के मामले में या जहां सरकार का यह समाधान हो जाये कि कच्चे माल के रूप में इन लवणों पर आधारित कोई उद्योग स्थापित करने की दृष्टि से पट्टेदार द्वारा मशीनरी और उपस्कर पर पर्याप्त सुधार या काफी विनिधान किया गया है, वहाँ सरकार पट्टे का और तीन वर्षों के लिए नवीनीकरण उस रकम के, जिस पर पट्टा मंजूर किया गया था, दुगने से अन्यून वार्षिक पट्टा धनाभाटक का संदाय किये जानेपर कर सकेगी, यदि नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन पट्टे के अवसान का छः माह पूर्व प्राप्त हो जाये और जब उद्योग स्थापित कर दिया जाये तब सरकार ऐसे निबंधन और शर्तें अंतिम रूप से विनिश्चित कर सकेगी जिन पर पट्टा और बढ़ाया जाना है।]

नियम 7. पट्टा देने का ढंग—पट्टा नीलाम द्वारा दिया जायेगा जैसा कि इन नियमों में उपबन्धित है।

नियम 8. पीठासीन अधिकारी द्वारा बोली स्वीकार की जाएगी—निदेशक, सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा जो उच्चतम बोली को स्वीकार कर सकेगा परन्तु यदि पीठासीन अधिकारी की यह राय हो कि उच्चतम बोली स्वीकार न की जाए तो वह निदेशक को आवश्यक सिफारिश करेगा जो स्वविवेकानुसार उच्चतम प्रस्तावित बोली को स्वीकार न करने के लिये कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् किसी अन्य बोली को स्वीकार कर सकता है।

नियम 9. नीलामी के लिये प्रक्रिया—इन नियमों के अधीन पट्टों को नीलाम करने में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा—

1. Inserted vide Noti. No. F. 6 (40) Rev./VI/79/26 dated 14-12-1995 Pub. in Raj. Govt. Gaz. Exty. Part 4 (ga) (I) dated 20-12-1995.
2. Substituted vide Noti. No. F 6 (40) Rev./VI/79/26 dated 14-12-1995. Pub. in Raj. Govt. Gaz. Exty. Part 4 (ga) (I) dated 20-12-1995.